क्रम-संख्या—247

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 22 अप्रैल, 1978
वैशाख 2, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 982/सत्रह-वि0-1--13-1978
लखनऊ, 22 अप्रैल, 1978

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 20 अप्रैल, 1978 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1978]

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 और उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

(2) इसे 29 दिसम्बर, 1977 से प्रवृत्त समझा जायगा।

अध्याय दो

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का संशोधन।

उ० प्र० अधिनियम संख्या 7, सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की धारा 2 में,—

(एक) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारम्भ के दिनांक से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (जिसे आगे इस अध्याय में उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबन्ध एक वर्ष की अवधि के लिए या उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन निर्वाचित मण्डी समिति का संघटन होने तक, जो भी पहले हो, प्रत्येक ऐसी मण्डी क्षेत्र के सम्बन्ध में जो ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को विद्यमान हो या उक्त अवधि में इस प्रकार घोषित किये गये हों, निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे, अर्थात्:—

(क) उपखण्ड (ङ) में यथा उपबन्धित के सिवाय किसी मंडी समिति के समस्त अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्त्तव्यों का पालन राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट की जाने वाली तदर्थ समिति द्वारा किया जायगा ;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट तदर्थ समिति में तीन सदस्य होंगे जिनमें से एक को सभापति पदाभिहित किया जायेगा ;

(ग) राज्य सरकार किसी भी समय तदर्थ समिति के किसी सदस्य को उसके स्थान पर नया नाम निर्देशन करके बदल सकती है ;

(घ) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तदर्थ समिति को सभी प्रयोजनों के लिए मण्डी समिति समझा जायगा ;

(ङ) तदर्थ समिति मण्डी निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण या अर्जन नहीं करेगी;

(च) यदि तदर्थ समिति के सदस्यों में कोई मतभेद हो तो बहुमत का विनिश्चय मान्य होगा ;

(छ) राज्य सरकार, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, ऐसे आनुषंगिक या पारिणामिक उपबन्ध जिसमें उक्त अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुकूलन, परिष्कार या उसके प्रवर्तन को पूर्ण या आंशिक रूप से निलम्बित करने का उपबन्ध भी सम्मिलित है, किन्तु जिससे सार पर प्रभाव न पड़े, बना सकती है जो उसे पूर्ववर्ती या सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो ;

(ज) खण्ड (क) और (ख) के अधीन तदर्थ समिति नाम निर्दिष्ट किये जाने तक, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व मण्डी समिति के अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए प्रवृत्त प्रबन्ध बना रहेगा।"

(दो) उपधारा (2) में, शब्द 'खण्ड (घ)' के स्थान पर शब्द 'खण्ड (छ)' रख दिये जायेंगे।

अध्याय तीन

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्या 25, सन् 1964 की धारा 2 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (भ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्—

"(भ) 'व्यापारिक परिव्यय' का तात्पर्य किसी भी नाम से कहे जाने वाले किसी ऐसे परिव्यय से है जो, व्यापार की किसी रूढ़ि या प्रथा के अधीन या ऐसी रूढ़ि या प्रथा के नाम पर अन्यथा, किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय या विक्रय के किसी सौदे के सम्बन्ध में किसी व्यापारी द्वारा वसूल किया जाता हो या वसूल किया जा सकता हो या उसको देय हो।

स्पष्टीकरण—नमूने से क्रय किये जाने की दशा में नमूने से अन्तर होने के कारण, या किसी ज्ञात मानक से क्रय किये जाने की दशा में मानक से अन्तर होने के कारण, अथवा वास्तविक और मानक माप या तौल में भिन्नता के कारण, की गयी कटौती से भिन्न प्रत्येक कटौती व्यापारिक परिव्यय समझी जायगी।"

धारा 9 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, और सदैव से बढ़ाई गयी समझी जायगी, अर्थात्—

"(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्ध किसी ऐसे निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में जिसे किसी बैंक के पक्ष में ऐसे बैंक द्वारा दी गयी धनराशि के लिए प्रतिभूति के रूप में, गिरवी या दृष्टिबन्धक रखा जाय, लागू न होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए शब्द 'बैंक' का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 में उसके लिए दिया गया है।"

धारा 17 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 17 में, खण्ड (तीन) में, उप खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड रख दिया जायगा और दिनांक 12 जून, 1973 से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्—

"(ख) मंडी शुल्क, जो मण्डी क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सौदों पर ऐसी दरों पर, जो इस प्रकार बेचे गये कृषि उत्पादन के मूल्य के, एक प्रतिशत से कम और डेढ़ प्रतिशत से अधिक न हो, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, लगाना और वसूल करना, और ऐसा शुल्क निम्नलिखित रीति से वसूल किया जायगा:—

(1) यदि उत्पादन आढ़तिया के माध्यम से बेचा जाये तो आढ़तिया क्रेता से मण्डी शुल्क वसूल कर सकता है और वह समिति को उसका देनदार होगा;

(2) यदि कोई व्यापारी सीधे उत्पादक से उत्पादन क्रय करे तो व्यापारी समिति को मण्डी शुल्क का देनदार होगा;

(3) यदि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से उत्पादन क्रय करे तो उत्पादन बेचने वाला व्यापारी उसे क्रेता से वसूल कर सकता है और वह समिति को मंडी शुल्क का देनदार होगा; और

(4) ऐसे उत्पादन के विक्रय की किसी अन्य स्थिति में, क्रेता समिति को मण्डी शुल्क का देनदार होगा।"

नयी धारा 19-ख का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 19-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

"19-ख-(1) प्रत्येक समिति के लिए एक निधि स्थापित की जायेगी जिसे 'मण्डी विकास निधि' कहा जायगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी:—

मण्डी विकास निधि

(क) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व मंडी समिति निधि में जमा धनराशि का पैंसठ प्रतिशत;

(ख) ऐसी अन्य धनराशि जिसे इस निधि में जमा करने के लिए परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्देश दिया जाय।

(2) मण्डी विकास निधि का उपयोग मण्डी क्षेत्र के विकास के प्रयोजनार्थ किया जायगा, और निधि से कोई धनराशि, सिवाय परिषद् द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार, न तो व्यय और न विनिहित की जायगी।"

अध्याय चार

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

उ० प्र० अध्यादेश संख्या 21; सन् 1977

7—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1977 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त था।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र देव शर्मा,

सचिव।

No. 982 (2) /XVII-V—1-13-1978

Dated Lucknow, April 22, 1978

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 7 of 1978), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 22, 1978 :

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI LAWS (AMENDMENT) ACT, 1978

[U. P. Act No. 7 of 1978]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An

Act

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972 and the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964.

It is hereby enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Chapter I

Preliminary

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Laws (Amendment) Act, 1978.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 29, 1977.

Chapter II

Amendment of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972

Amendment of section 2 of U. P. Act 7 of 1972.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972—

(i) *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(1) with effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Laws (Amendment) Act, 1978, the provisions of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (hereinafter in this Chapter referred to as the said Adhiniyam), shall for a period of one year or until the constitution of an elected Mandi Samiti under section 13 of the said Adhiniyam, whichever is earlier, have effect in relation to every market area existing on the date of such commencement or declared to be so during the said period, subject to the following provisions, namely:—

(*a*) Except as provided in clause (*e*), all powers, functions and duties of a Market Committee shall be exercised, performed and discharged by an ad hoc committee to be nominated by the State Government ;

(*b*) The ad hoc committee referred to in clause (*a*) shall consist of seven members one of whom shall be designated as the Chairman ;

(*c*) The State Government may at any time replace any member of the ad hoc committee by making a fresh nomination in his place ;

(*d*) Subject to the provisions of this section the ad hoc committee shall be deemed for all purposes to be the Market Committee;

(*e*) The ad hoc committee shall not transfer or acquire any immovable property without prior permission of the Director of Mandis Uttar Pradesh, Lucknow ;

(*f*) If there is a difference of opinion amongst the members of the ad hoc committee the decision of the majority shall prevail ;

(*g*) The State Government may from time to time by notification make such incidental and consequential provisions, including provisions for adapting, modifying or suspending, in whole or in part, the operation of any provisions of the said Adhiniyam, but not affecting the substance, as may appear to it to be necessary or desirable for any of the foregoing or connected purposes;

(*h*) Until the nomination of ad hoc committee under clauses (*a*) and (*b*), the arrangement in force immediately before the commencement of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Laws (Amendment) Act, 1978 for the exercise, performance and discharge of the powers, functions and duties of a market committee shall continue."

(ii) in sub-section (2), *for* the word "clause (*d*)", the word "clause (*g*)" shall be *substituted*.

CHAPTER III

Amendment of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964

Amendment of section 2of U.P. Act 25 of 1964.

3. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, *for* clause (*x*), the following clause shall be *substituted*, and be deemed always to have been *substituted*, namely—

"(*x*) 'trade-charge' means any charge, by whatever name called, which is realised or may be realised by, or may be payable to, a trader in respect of any transaction of sale or purchase of any specified agricultural produce under or purporting to be under any custom or usage of trade, or otherwise ;

Explanation—Every deduction other than a deduction made on account of deviation from sample when the purchase is made by sample, or on account of deviation from standard when the purchase is made by reference to a known standard, or on account of difference between actual and the standard weight or measure shall be deemed as a trade charge".

Amendment of section. 9.

4. In section 9 of the principal Act, *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, and be deemed always to have been *inserted*, namely—

"(3) The provisions of sub-sections (1) and (2) shall not apply in relation to any specified agricultural produce pledged or hypothecated in favour of a bank as security for any amount advanced by such bank.

Explanation—For the purposes of this sub-section, the word "bank" shall have the meaning assigned to it in the Uttar Pradesh Regulation of Money Lending Act, 1976."

Amendment of section 17.

5. In section 17 of the principal Act, in clause (iii), for sub-clause (*b*), the following sub-clause shall be *substituted* and be deemed to have been *substituted* with effect from the 12th day of June, 1973 namely—

"(*b*) market fee, which shall be payable on transactions of sale of specified agricultural produce in the market area at such rates, being not less than one percentum and not more than one and half percentum of the price of the agricultural produce so sold, as the State Government may specify by notification, and such fee shall be realised in the following manner:—

(1) if the produce is sold through a commission agent, the commission agent may realise the market fee from the purchaser and shall be liable to pay the same to the Committee;

(2) if the produce is purchased directly by a trader from a producer, the trader shall be liable to pay the market fee to the Committee;

(3) if the produce is purchased by a trader from another trader, the trader selling the produce may realise it from the purchaser and shall be liable to pay the market fee to the Committee ; and

(4) in any other case of sale of such produce, the purchaser shall be liable to pay the market fee to the Committee."

Insertion of section 19-B.

6. *After* section 19-A of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

Market development fund.

"19-B. (1) There shall be established for each committee, a fund to be called 'Market Development Fund' to which the following amounts shall be credited—

(*a*) sixty five per cent of the amount standing to the credit of the Market Committee Fund immediately before the commencement of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Laws (Amendment) Act, 1978 ;

(*b*) such other amounts as may from time to time be directed by the Board to be credited to this fund.

(2) The Market Development Fund shall be applied for the purposes of the development of the market area, and no amount shall either be spent from the fund or be invested except in accordance with the directions issued by the Board from time to time.

CHAPTER IV

Miscellaneous

Repeal and savings.

7. (1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Laws (Amendment) Ordinance, 1977 is hereby repealed. U. P. Ordinance 21 of

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act were in force at all material times.

By order,

R. C. DEO SHARMA,

Sachiv,

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 27 सा० विधा० 22-4-78—(296)—1978—700 (मे०)